न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वाद पत्र संख्या : 104/5191/2018 सन् 2018

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद ताहिर (RAS)

1. कुमारी मीनू मीणा पुत्री मुकुट बिहारी जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना हाल निवास ग्राम भीमपुरा तहसील एंव जिला बून्दी नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता श्रीमती रामरेस पुत्री प्रताप पत्नी मुकुट बिहारी जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना हाल निवास ग्राम भीमपुरा तहसील एंव जिला बून्दी।

प्रार्थीनी

बनाम

Delete 29-5-19

1. मुकुट बिहारी आयु बालिग आत्मज स्व0 छीतर जाति मीणा
2. जगदीश आयु बालिग आत्मज स्व0 छीतर जाति मीणा
3. रामचरण आयु बालिग आत्मज स्व0 छीतर जाति मीणा
4. हेमराज आयु बालिग आत्मज स्व0 छीतर जाति मीणा
5. गिरिराज आयु बालिग आत्मज श्री मुकुटबिहारी जाति मीणा निवासीगण ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
6. पंकज कुमार आत्मज गोविन्द लाल जाति मीणा निवासी खेड़ली फाटक कोटा जिला कोटा, राजस्थान।
7. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
8. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, तालेड़ा जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा

वाद अधिकार घोषणा बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दि.

प्रार्थी/प्रतिवादी 2 लगायत 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री नन्द सिंह सोलंकी

अप्रार्थी/वादीनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री नवेद केसर लखपती

क्रमश : 2

—: निर्णय :—

दिनांक 19—07—2019

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा दिनांक 14—11—18 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया।

2. वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :— कृषि भुमि खसरा संख्या 835 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 889 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 929 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 30 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम मेहराना तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि स्व0 छीतर आ0 मंगला जाति मीणा निवासी मेहराना के खाते दर्ज थी जिसके देहान्त के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादीनी स्व0 छीतर जी की पोत्री एंव मृत प्रतिवादी संख्या 1 मुकुट बिहारी की पुत्री है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि होने से जन्म से ही हिस्सा व अधिकार निहित है। वादीनी का वाद पत्र की चरण संख्या 1 की कृषि भूमि मे अपने पिता मुकुट बिहारी के खाते की 1/4 कृषि भूमि मे 1/3 हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

3. वादीनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का इस आशय का पेश किया कि वादीनी/अप्रार्थी/आप्रार्थीया जर्ये संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 1 की वाद वर्णित कृषि भूमि पर पिता के जीवित अवस्था मे अधिकार घोषणा बंटवारा पेश किया है वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अनुसूचित जन जाति (मीना) के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार नियम लागू नही होता है उक्त कारणवश वादीनी वाद वर्णित कृषि भूमि पर अधिकार घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अनुसूचित जनजाति (मीना) मे पुत्र (पुरूष) उत्तराधिकारी मौजूद होने पर पुत्री उत्तराधिकारी का कृषि भूमि मे कोई हक व अधिकार नही

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

क्रमश : 3

होता है। उपरौक्त उनवानी वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिवादी संख्या 5 गिरिराज पुत्र मौजूद है जोकि वादीनी की स्वीकृत्त स्थिति है। कानूनन वादीनी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादीनी ने पूर्व मे भी वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बून्दी के यहां पर रामरेस बनाम छीतर वगैराह के नाम से वाद संख्या 98/2011 पेश किया था जिसको राजीनामा कर दिनांक 05–07–2013 को विड्रो कर लिया इस प्रकार पुनः वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर नवीन वाद विधि द्वारा वर्जित है। अप्रार्थीया/वादीनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने उभय पक्षों की बहस सुनी प्रत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण मे मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि **आया वादीनी अनूसूचित जनजाति मीना की सदस्य होने के कारण वाद वर्णित कृषि भूमि पर हक व अधिकार रखती है या नही।** इस सम्बन्ध मे वादीनी एंव प्रतिवादीगण की यह स्वीकृत्त स्थिति है कि वादीनी एंव प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति मीना के सदस्य है तथा विधि का सुस्थिापित कानून है कि अनुसूचित जनजाति मीना पर हिन्दू अत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रस्तुत तर्क की अनुसूचित जनजाति (मीना) मे पुत्र (पुरूष) उत्तराधिकारी मौजूद होने पर पुत्री उत्तराधिकारी का कृषि भूमि मे कोई हक व अधिकार नही होता है। स्वीकार किये जाने योग्य है। **दूसरा मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है आया कि पूर्व वाद के निस्तारण के पश्चात समकक्ष न्यायालय के द्वारा समान वर्ती विषय पर दूसरा वाद विचारणीय है या नही।** इस सम्बन्ध मे प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व वाद वाद संख्या 98/2011 की पत्रावली फर्द के साथ पेश की गई जिसके तथ्य विषयवस्तु एंव रिलीफ तथा विचारण वाद की विषयवस्तु रिलीफ एंव पक्षकार समान है वादीनी के द्वारा पूर्व वाद 98/2011 को दिनांक 05–07–2013 को

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

क्रमश : 4

राजीनामा के आधार पर निस्तारण कर दिया गया है। दिनांक 05—07—2013 की आर्डर शीट पर पूर्व वाद का निर्णय किया गया है। इस स्थिति मे धारा 11 जाप्ता दीवानी का प्रभाव विचारण वाद पर लागू होता है तथा वादीनी समान तथ्य पर समान पक्षकारों के विरूद्ध उसी वाद कारण पर नवीन वाद पेश करने से वर्जित है।.

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीनी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 19—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

19/7/19

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

इजलास – मोहम्मद ताहिर
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेड़ा

कुमारी मीनू मीणा **V/S** मुकुट बिहारी वगै0

वाद– अधिकार घोषणा बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

मुकदमा नम्बर :: 104/2018

वादीगण की ओर से श्री नवेद केसर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री नन्द सिंह की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 19.07.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

" प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीया/वादीनी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ..... ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.07.2019 को जारी की गई।

मोहर

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा